

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख
 खातावार खतौनी अथवा जमाबंदी
 प्ररूप सात (नियम 8 देखिए)
 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

ग्राम:मोयाखेड़ा			पटवारी हल्का:बोदली			तहसील: सरदारपुर			जिला:धार						वर्ष: 2022-2023	
खाता क्रमांक	1. खातेदार (खातेदारों) का नाम, उसके माता/पिता/पति का नाम तथा पता 2. खाते में हिस्सा	खातेदार (खातेदारों) का आईडी क्रमांक (संयुक्त खाते की दशा में प्रत्येक खातेदार का उनके नाम सहित आईडी क्रमांक)	1. सर्वेक्षण संख्यांक भू-खण्ड संख्यांक के साथ इसका/ब्लॉक संख्यांक सहित ('S' कृषक भूमि का तथा 'P' गैर कृषिक भूमि को दर्शाता है) 2. क्षेत्रफल (हेक्टेयर / वर्गमीटर में)	भूमि का उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है	निर्धारण (रुपयों में)	* मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 58-क के अधीन रुक	भू-राजस्व का शीर्ष	चालू वर्ष की मांग (रुपयों में)	बकाया खति कोई है (रुपयों में)	आदिनांक बराज (मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 143 के अनुसार) (रुपयों में)	अदय तन कुल मांग (रुपयों में)	भुगतान गार्ड राशि जिसमें भुगतान के ब्यौरे शामिल हो (रुपयों में) 1. भुगतान गार्ड राशि 2. भुगतान की विशिष्टियां	देव राशि	अभि युक्तियां		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
392	(शासकीय) वन विभाग पता धार मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग शासकीय		553/1/2 (S) 5.1450 हेक्टेयर	कृषि	0.00		कुल भू-राजस्व	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		
			कुल क्षेत्र. 5.1450 हेक्टेयर	कुल संख्या 1	कुल 0.00		पंचायत उपकर	0.00								
							शाला उपकर	0.00								
							वाणिज्य कर	0.00								
							प्रीमियम	0.00								
							शास्ति	0.00								
							योग	0.00								

नोट :-

- यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है।
- इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
- डिजिटली साइड कॉपी के लिए आई. टी. सेंटर से, लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें।
- प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।



P-2

न्यायालय कलेक्टर जिला धार (म. प्र.)

अ.

धार, दि.....

RCMS क्रमांक 0091/अ-20(3)/2021-22

संभागीय प्रबंधक,

म.प्र.सडक विकास निगम लिमिटेड इन्दौर - 2 धार

....आवेदक

::आदेश::

(दिनांक 3/1/22 को पारित)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि संभागीय प्रबंधक, म.प्र.सडक विकास निगम लिमिटेड इन्दौर - 2 धार के द्वारा म.प्र. नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश-2020 के भाग-एक (राज्य शासन के किसी विभाग के नजूल भूमि हस्तांतरण) में भूमि आवंटन की कंडिका 11 के अंतर्गत जिला धार स्थित वर्तमान प्रमुख जिला सडक के उन्नयन कार्य में लगभग 5.145 हैक्टेयर ली जा रही वन भूमि के बदले ग्राम गुमानपुरा तहसील सरदारपुर स्थित भूमि खसरा क्रमांक 30 क्षेत्रफल 5.145 हैक्टेयर भूमि वन विभाग को आवंटित किये जाने बाबत आवेदन-पत्र आर.सी.एम.एस पोर्टल पर दिनांक 10/03/2021 को प्रस्तुत किया गया। न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक RCMS क्रमांक 0023/अ-20(1)/2020-21 एवं RCMS क्रमांक 0002/अ-20(3)/2021-22 में पारित आदेश दिनांक 08/10/2021 से ग्राम गुमानपुरा तह. सरदारपुर जिला-धार स्थित शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 30 पैकि क्षेत्रफल 5.145 हैक्टेयर भूमि वर्तमान प्रमुख जिला सडक के उन्नयन कार्य में लगभग 5.145 हैक्टेयर ली जा रही वन भूमि के बदले म.प्र.शासन, वन विभाग, भोपाल द्वारा वन मण्डलाधिकारी धार को म.प्र. नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश-2020 की कंडिका 17 के तहत आवंटित की गई।

2. संभागीय प्रबंधक, म.प्र.सडक विकास निगम लिमिटेड इन्दौर - 2 धार के द्वारा पत्र क्रमांक 8/केम्प सरदारपुर/म.प्र.स वि.नि.लि /2021 दिनांक 06/12/2021 से अवगत कराया गया कि आवंटित की गई ग्राम गुमानपुरा तहसील सरदारपुर स्थित भूमि खसरा क्रमांक 30 क्षेत्रफल 5.145 हैक्टेयर भूमि वन विभाग द्वारा लेना स्वीकार नहीं किया गया है। वन विभाग एवं राजस्व विभाग द्वारा समुक्त निरीक्षण कर ग्राम मोयाखेडा तहसीलदार सरदारपुर स्थित भूमि खसरा क्रमांक 663/1 क्षेत्रफल 28.204 हैक्टेयर में से क्षेत्रफल 5.145 हैक्टेयर भूमि वन विभाग को आवंटित किये जाने हेतु अनुकूल है। जिसके अंतर्गत वन विभाग को ग्राम मोयाखेडा स्थित भूमि आवंटित किये जाने हेतु आर.सी.एम.एस पर आवेदन-पत्र निर्धारित प्रारूप-1 में 0622860502062-APP-12142175 प्रस्तुत किया गया।

3. प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) क्षेत्र सरदारपुर को जांच हेतु प्रेषित किया गया। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सरदारपुर के द्वारा तहसीलदार सरदारपुर से जांच कराई गई। तहसीलदार सरदारपुर के द्वारा प्रकरण में जांच कर प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सरदारपुर की अनुशंसा आदेशिका सहित प्रेषित किया गया। तहसीलदार के प्रतिवेदन एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सरदारपुर की अनुशंसा आदेशिका अनुसार प्रकरण में विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया। समयावधि में किसी भी प्रकार की आपत्ति/आवेदन प्राप्त नहीं हुआ। ग्राम मोयाखेडा का शामिल जोत का क्षेत्रफल 137.556 हैक्टेयर है, जिसके 2 प्रतिशत चरनोई हेतु सुरक्षित क्षेत्रफल 2.751 हैक्टेयर होना चाहिए। जबकि ग्राम में चरनोई हेतु सुरक्षित क्षेत्रफल 49.823 हैक्टेयर है। प्रश्नाधीन भूमि आवंटन से ग्राम के चरनोई हेतु सुरक्षित क्षेत्रफल पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रश्नाधीन भूमि छोटे-बड़े झाड़ के जंगलों के रूप में परिभाषित नहीं है। भूमि हस्तांतरण किये जाने में किसी प्रकार की दैधानिक कठिनाईयां नहीं है।

निरंतर 2

2
व.प्र.सडक विकास निगम लिमिटेड
जिला धार (म.प्र.)

4. जिला स्तरीय नजूल निर्वर्तन समिति धार द्वारा समिति की बैठक दिनांक 30/12/2021 में ग्राम गुमानपुरा तहसील सरदारपुर स्थित भूमि खसरा क्रमांक 30 क्षेत्रफल 5.145 हेक्टेयर आवंटन आदेश निरस्त किया जाकर ग्राम मोयाखेडा तहसीलदार सरदारपुर स्थित भूमि खसरा क्रमांक 553/1 क्षेत्रफल 28.264 हेक्टेयर में से क्षेत्रफल 5.145 हेक्टेयर भूमि वन भूमि के बदले म.प्र.शासन, वन विभाग, भोपाल द्वारा वन मण्डलाधिकारी धार को आवंटित किये जाने की अनुशंसा की गई है। उक्त स्वीकृति कार्यवाही विवरण प्रति सहित प्रकरण पत्रिका कंडिका-16 के तहत संबंधित विभाग को भूमि हस्तांतरण कर कब्जा सौंपने का आदेश पारित करने हेतु प्रेषित किया गया।

अतः न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक RCMS क्रमांक 0023/अ-20(1)/20-21 एवं RCMS क्रमांक 0002/अ-20(3)/2021-22 में पारित आदेश दिनांक 08/10/2021 से ग्राम गुमानपुरा तह. सरदारपुर जिला-धार स्थित शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 30 पैकि क्षेत्रफल 5.145 हेक्टेयर भूमि आवंटन आदेश निरस्त किया जाता है, तहसीलदार पूर्ववत राजस्व अभिलेख खाता, खसरा में म.प्र.शासन राजस्व विभाग का नाम दर्ज करें एवं उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करें व उक्त भूमि के स्थान पर ग्राम मोयाखेडा तहसीलदार सरदारपुर स्थित भूमि खसरा क्रमांक 553/1 क्षेत्रफल 28.264 हेक्टेयर में से क्षेत्रफल 5.145 हेक्टेयर भूमि वर्तमान प्रमुख जिला सड़क के उन्नयन कार्य में ली गई भूमि क्षेत्रफल 5.145 हेक्टेयर के बदले म.प्र.शासन, वन विभाग, भोपाल द्वारा वन मण्डलाधिकारी धार को म.प्र. नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश-2020 की कंडिका 17 के तहत राज्य शासन का विभाग होने से बिना कर निर्धारण के म.प्र. नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश-2020 की कंडिका 16 के अंतर्गत विभिन्न विभाग के प्रतिवेदन, अनापत्ति एवं शर्तों के अनुरूप आवंटित की जाती है। इनका उल्लंघन होने पर आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।

धार, दिनांक 31/12/22

पृ.क्र./ 01 /रीडर-1/2021

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, वन विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू-प्रबंध) सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. मुख्य वन संरक्षक, इन्दौर वृत्त, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. वनमंडलाधिकारी वन मंडल जिला धार की ओर भेजकर लेख है कि प्ररनाधीन भूमि का कब्जा प्राप्त करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी को अधिकृत कर कब्जा रसीद तहसीलदार को सौंपने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
7. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सरदारपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. तहसीलदार, तहसील, सरदारपुर की ओर प्रकरण पत्रिका सहित उपरोक्तानुसार आगामी आवश्यक कार्यवाही करने व आवेदित शासकीय भूमि का कब्जा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी को सीमांकन करवाकर सौंपने एवं भू-अभिलेख कागजात खसरा में अमल-दरामद करावें, बटे नम्बर कायम करें। मूल कब्जा रसीद खसरा नक्शा की एक-एक सत्यापित प्रति प्रकरण के संलग्न की जाकर प्रकरण अघिलम्ब वापिस लौटावें।
9. प्रकरण क्रमांक RCMS क्रमांक 0002/अ-20(3)/2021-22 को संलग्न करने हेतु।